रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 250] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 1971/चैत्र 11, 1893

No. 250] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 1971/CHAITRA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st April, 1971

S.O. 1489.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Export (Control) 4th Amendment Order 1971.

2. In Part B of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1963, the following items shall be added after item No. 73, namely:—

"74 Marine Products."

[No. E(C)O, 1968/AM(55).]

P. K. SAMAL,

Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

नियति व्यापार नियंत्रण

दिल्ली, 1 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1489.—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) चतुर्थ संशोधन आदेश, 1971 की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के भाग "बी" की अनुसूची—1 की मद संख्या 73 के बाद में निम्नलिखित मद को जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"74 समुद्री उत्पाद".

[संख्या ई (सी) ओ. 1968/एएम (65)]

पी० के० कमाल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971